

निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय
सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर
ब्लॉक-डी, आई.पी. भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

कस्टम ब्रोकर परीक्षा के लिए नोटिस

1. कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2013 के अधीन कस्टम ब्रोकर के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विनियमों की प्रति www.cbec.gov.in एवं <http://dgicce.nic.in> पर उपलब्ध है।
2. पूर्ण आवेदन व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से फॉर्म ए (सीबीएलआर, 2013 में उपलब्ध) में दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ एवं नागरिकता (आधार/पासपोर्ट/वोटर कार्ड), शैक्षणिक योग्यता, वित्तीय व्यवहार्यता एवं अन्य अपेक्षाओं के संबंध में स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ उस क्षेत्र के प्रधान आयुक्त/आयुक्त-सीमा शुल्क/ सीमा शुल्क(निवारक)/केंद्रीय कर के पास दिनांक 16.10.2017 से 17.11.2017 तक सायं 6.00 बजे तक जमा कर दें जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह क्षेत्र आता है जहां आवेदक अपना व्यवसाय करने की मंशा रखता हो। डाक द्वारा भेजे गए आवेदन यदि अंतिम तारीख के उपरांत प्राप्त होते हैं तो उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. आवेदन जमा करने से पूर्व आवेदक को आवेदन की पूर्णता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए क्योंकि इसकी अपूर्णता के बारे में कोई अपूर्णता ज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा और अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
4. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम: सीबीएलआर, 2013 के विनियम 6(7) के अनुसार होगा।
5. परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त पाए गए आवेदकों के नाम दिनांक 24.11.2017 तक संबंधित आयुक्तालय के नोटिस बोर्ड और/अथवा वेबसाइट पर दर्शाए जाएंगे।
6. रोल नंबर, प्रवेश-पत्र एवं परीक्षा-स्थल के बारे में सूचना प्रत्येक आवेदक को संबंधित आयुक्तालय द्वारा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा दी जाएगी। लिखित परीक्षा दिनांक 19.01.2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक होगी।
7. अभ्यर्थी के पास हिंदी अथवा अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प है।
8. सफल अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जिसके लिए उन्हें अलग से सूचना दी जाएगी।
9. यदि यह पाया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई घोषणा एवं सूचना गलत है, तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा लाइसेंस (यदि जारी किया गया हो तो) रद्द कर दिया जाएगा।
10. किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कृपया वेबसाइट देखें/निकटतम आयुक्तालय/इस कार्यालय/श्री एल.के. माहेश्वरी, सहायक निदेशक(011-2337 8954)/ से पर संपर्क करें।

मिसिल सं. 1191/07/2017-गोपनीय
दिनांक: 11.04.2017
नई दिल्ली

(सी.एम. चान्दोलिया)
प्रधान अपर महानिदेशक
011-2337 8250

— 28 —

Directorate General of Performance Management
Customs, Central Excise & Service Tax
Block-D, I.P. Bhawan, I.P. Estate, New Delhi – 110002

NOTICE FOR CUSTOMS BROKERS EXAMINATION

1. Applications are invited from Indian citizens to appear in the written examination for issuance of license to act as a Customs Broker under Customs Brokers Licensing Regulations, 2013. A copy of the regulations is available at www.cbec.gov.in and <http://dgicce.nic.in>.
2. Complete application is to be submitted in person or by Registered/Speed Post in Form-A (available in the CBLR,2013) along with two passport size photos & self attested documents on citizenship (Aadhar /Passport/ Voter Card), educational qualification, financial viability and other requirement to the Principal Commissioner/ Commissioner of Customs/Customs (Prev.)/Central Tax, having jurisdiction over the area where the applicant intends to carry on his business from **16.10.2017 to 17.11.2017 up to 6.00 PM**. Applications sent by post and if received after the last date shall not be entertained.
3. Before submitting the application, applicant should ensure the completeness of the application, as no deficiency memo will be issued and incomplete applications shall be rejected.
4. Syllabus of written examination: as per regulation 6(7) of CBLR, 2013.
5. Names of applicants found eligible to appear in examination will be displayed on the notice board and/or website of the respective Commissionerate latest by 24.11.2017.
6. Information regarding roll number, admit card & examination venue will be intimated to individual applicant by the concerned Commissionerate by Registered/Speed Post. **The date and time of written examination shall be 10.00 AM to 01.00 PM on 19.01.2018.**
7. The candidates have the option to answer either in Hindi or in English.
8. Successful candidates will be called for an oral examination for which separate communication will be sent.
9. In case declarations and information submitted by the applicant are found to be incorrect, the application shall be rejected or license, (if issued) shall be cancelled.
10. For any query, please visit the website/contact the nearest Commissionerate/ this office/ Sh.L.K.Maheshwari (Assistant Director) on 011-2337 8954.

File no.1191/07/2017-Confidential
Dated: 11.04.2017
New Delhi

(C.M.Chandolia)
Principal Additional Director General
011-2337 8250